THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI DILIP KUMAR RAY): (a) to (c) During the post liberalisation period, that is from July 1991 to October 1996, foreign investment proposals worth a sum of Rs. 7157 crores have been approved in the various sectors of food processing. Out of this, the projects implemented so far envisage foreign investment of Rs. 1836 crores. Sectorwise details are at the statement. (See below) Normally, it takes 2 to 3 years for implementation of a project.

(d) Yes, Sir. The EEC is providing assistance for horticulture development in Kerala under Kerala Horticulture Development Programme.

(e) The Ministry extends financial assistance under its plan schemes to State Government Organisations/Cooperatives/ Voluntary Organisations including Non-Government Organisations (NGOs) for setting up/expansion/modernisation of food processing units.

Statement

Sectorwise Details of foreign investment approved and implemented projects

(Rs. in Crores)

	Sector	Foreign Investment approved (upto Oct., 1996)	Foreign Investment in the implemented projects (upto July 1996)
1.	Grain milling & grain based.	408	209
2.	Fruits & Vegetable Products.	761	112
3.	Meat & poultry.	302	147
4.	Deep Sea Fishing fish processing & aquaculture.	546	389
5.	Fermentation Industry.	320	67
6.	Consumer industry including soft drinks/water/ confectionery etc.	4299	701
7.	Milk & Milk Products.	292	211
8.	Others including food additives, flavours etc.	229	—
		7157	1836

Interest free subsidy for solar water heaters

158. DR. JAGANNATH MISHRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have recently introduced an interest free subsidy programme for solar water heater system under the solar Thermal Energy Programme;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether commercial as well as technological viability of solar water heater system has been assessed while initiating the scheme and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE / IN THE MINISTRY OF POWER & MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL/ ENERGY SOURCES (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) and (b) The Government have introduced an interest subsidy scheme for providing soft loans to users for/ installation of solar water heating systems under the Solar Thermal Energy Programme. The scheme is being currently operated through the Indian Renewable Energy Development Agency

(ङ) क्या यह सच है कि पेट्रोल, डीजल और एल॰पी॰जी॰ विक्रय केन्द्र मात्रा और दूरी के आधार पर खोले जाते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालु): (क) और (ङ) वर्तमान नीति के अनुसार पेट्रोल/डीजल की खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप, तेल उद्योग द्वारा अनुपालन किए जा रहे मात्रा दूरी मानकों को पूरा करने वाले स्थानों पर खोले जाते हैं। इसी प्रकार एल॰पी॰जी॰ डिस्ट्रीब्यूटरशिप 10,000 और अधिक की जनसंख्या वाले कैस्बों में चरणबद्ध ढंग से खोलने की योजना बनाई जाती है बशर्ते कि 15 कि॰मी॰ के अर्धव्यास के भीतर पड़ने वाले निकटवर्ती गावों सहित उक्त कस्बे की संभाव्यता, व्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चलाए रखने के लिए पर्याप्त हो। डीलरशिपों/ डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को खोलने में आवश्यक आधारभूत सिद्धान्त उक्त क्षेत्र में प्रचातनरत मौजूदा डीलरों/डिस्ट्रब्यूटरों की आर्थिक व्यवहार्यता को प्रभावित किए बिना उत्पादों की आसान उपलब्धता के लिए कार्यतंत्र का विस्तार करना है।

(ख) सामान्य चयन प्रक्रिया के माध्यम से डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्तें नीचे दी गई हैं:-

	राष्ट्रीयता	- भारतीय
	आयु	- अनु॰ जाति/ज॰जा॰/शारीरिक रूप से विकलांगों, रक्षा और सामान्य श्रेणियों के लिए 21—50 वर्ष - उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 35 वर्ष और अधिक। - स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
	शैक्षणिक योग्यताएं	
(1)	अनु॰ जाति/जनजाति, शारीरिक विकलांग रक्षा और सामान्य श्रेणी	- मैट्रीकुलेशन अथवा समकक्ष
(2)	स्वतंत्रता सेनानी और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की श्रेणी	- लागू नहीं
	आय	
	व्यक्ति	- 50,000/- रूपये प्रतिवर्ष
	सहकारी समितियां	- कोई सीमा नहीं।
	निवास	
(1)	अनु॰ जाति/जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांगों की श्रेणी में शारीरिक विकलांगों के लिए	- संबंधित जिले को वरीयता देते हुए विज्ञापन में किए गए उल्लेख के अनुसार निकटवर्ती जिलों के निवासी।
(2)	स्वतंत्रता सेनानी और सामान्य श्रेणियां	- संबंधित जिले के निवासी।
(3)	रक्षा, उत्कृष्ट खिलाड़ी और शारीरिक विकलांगों की श्रेणी में शारीरिक रूप से विकलांगों के अलावा अन्य	- संबंधित राज्य के किसी भी जिले के निवासी।